दूरभाष (का0) : 0135-2676260
टैलीफैक्स : 0135-2676177
ई–मेल : cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक,

जल भवन, बी–ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून

पत्रांकः 6676 /वि0अनु0/02/बो0अनु0(16वीं)/2016–17 दिनांकः 21/03/17

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
.... ।

विषयः उत्तराखण्ड जल संस्थान में आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं/ई–निविदाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम में लागू पंजीकरण नियमावली, 2010 को उत्तराखण्ड जल संस्थान में अंगीकृत किये जाने एवं टू–बिड प्रणाली हेतु तकनीकी अर्हता के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 22.11.2016 को निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा इस पर निम्न निर्णय लिया गया।

"उत्तराखण्ड पेयजल निगम में प्रभावी व्यवस्था को यथावत् अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई व्यवस्था पेयजल निगम में नहीं है, तो उसे प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार लागू करना स्वीकृत।"

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा ठेकेदारों की पंजीकरण नियमावली, 2010 को बोर्ड से स्वीकृत कराकर लागू किया गया। विभाग के पत्र संख्या– 5249/वि0अनु0/02/बोर्ड अनु0(16 वीं)/2016–17 दिनांक 21.12.2016 से इस नियमावली को समस्त शाखाओं को अनुपालन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। यदि किसी शाखा में यह अप्राप्त है तो इसे पुनः मुख्यालय से प्राप्त कर लें। भविष्य में ठेकेदारों का पंजीकरण तथा उनको आवंटित किये जाने वाले कार्यों की सीमा इसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित होंगे।

कार्य मुख्यतः दो प्रणाली के अन्तर्गत कराये जाते हैं।

1. एकल प्रस्ताव निविदा प्रणाली।
2. दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली।

दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली में तकनीकी अर्हतायें निर्धारित की जाती हैं। तकनीकी अर्हताओं में अन्य के साथ मुख्यतः वित्तीय क्षमता एवं तकनीकी अनुभव के मापदण्ड निर्धारित करने होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार निर्धारित किया जाये।

S.No.	Particulars	Information to be filled and uploaded by the tenderer	Proof to be attached by the tenderer and Remark to be written as **Attached or Not Attached**
24	**Financial Qualification:-** *Average Annual Financial Turnover during last three following financial years shall be minimum Rs.* **A** *in Indian Market. An Audited Balance sheet (only Turnover sheet) to be enclosed by the tenderer with the*		

	technical bid. Turnover sheet means- Profit & Loss A/c which reflects Sale of product.		
(i)	Year	Rs.	
(ii)	Year	Rs.	
(iii)	Year	Rs.	

A. औसतन टर्नओवर 2 x V/T के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यहां V का तात्पर्य कार्य/आपूर्ति का प्रस्तावित मूल्य एवं T का तात्पर्य इस कार्य/आपूर्ति को पूर्ण करने के लिये अनुमानित समय (वर्ष) से है। उदाहरण के लिये यदि कोई रू0 125.00 लाख का कार्य 8 माह में पूर्ण किया जाना है तो औसत टर्नओवर रू0 375.00 लाख होना चाहिये।

25	**Technical Qualification –** **Self Attested Photocopies of Orders of** ***any Govt./Semi Govt./PSU to be enclosed by the tenderer with the technical bid.*** Experience of having succcessful completion similar work during last 7 years ending last day of month previous to the one in which application are invited should be either of following: (a) Three similar works each of value not less than 40% of the estimated cost put to tender, i.e. minimum amount ***Rs. ....*** or (b) Two similar works each of value not less than 60% of the estimated cost put to tender, i.e. minimum amount ***Rs. ....*** or (c) One similar works each of value not less than 70% of the estimated cost put to tender, i.e. minimum amount ***Rs. ....***	

कार्य अनुभव के लिये उपरोक्त अर्हता निर्धारित की जाये।

26	**Performance Certificates.** *Performance certificates as per S.No. 25 mentioned above from those organization where the similar nature of work has been completed and a certificate shall be issued from Govt./Semi Govt./PSU, not less than the rank of Executive Engineer/CEO rank to be enclosed by the tenderer with the technical bid. Without performance certificate, the technical bid shall be rejected.*	

आमन्त्रित की गयी ई–निविदा/टू–बिड में निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व प्रि–बिड मीटिंग का प्राविधान है, जिसे आमन्त्रित की गयी निविदा में यदि किसी निविदादाता को किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो अथवा निविदादाता का कोई सुझाव/आपत्ति हो तो उसका समाधान प्रि–बिड में नियमानुसार किया जाना आवश्यक होगा ताकि आमन्त्रित की गयी निविदा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हों।

अतिरिक्त परफोमेन्स सिक्यूरिटीः– प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय प्राकल्पित दरों से कम दरें प्राप्त होती हैं, ऐसी स्थिति में विभागीय दरों से कम दरों पर प्राप्त निविदा स्वीकृत करने से पूर्व अतिरिक्त परफोमेन्स सिक्यूरिटी के निर्धारण हेतु शासनादेश सं. 6447/III(2)/11–20(सा.)/11 लोक निर्माण विभाग–2 देहरादून दिनांक 02.01.2013 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

Performance Security

(i) **Percentage Rate Contracts** - The performance Security shall be provided by the contractor to the Employer not later than the date specified in the letter of acceptance and shall be issued for an amount of 5% of the Contract Price or the estimated cost of the work, whichever is higher, in the form acceptable to the Employer from reputable local banks including scheduled banks or nationalized banks acceptable to the Employer. The performance security shall be valid until the date of issuance of Completion Certificate. The Employer may increase the performance Security to a level sufficient to protect it against the possibility of financial loss, if the lowest evaluated bid is below the estimated cost of the work. The amount of additional performance security shall be worked out as follows: -

iv) Up to 5% below the Estimated Cost : No Additional Performance Security

v) From 5% below to 15% below the Estimated Cost, an Additional Performance Security of 0.5% of the estimated cost for every 1% below the estimated cost.

vi) For more than 15% below the Estimated Cost, an Additional Performance Security of 1% of the estimated amount for every 1% below the estimated cost.

Note:

3. if the percentage below is not a whole number, any percentage above 0.5% shall be rounded off to next higher whole number and any percentage below 0.5% shall be rounded off to immediate lower whole number.

4. The Performance Security and Additional Performance Security as applicable shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the works and after the payment of the final bill.

(ii) **Item Rate Contracts** – The Performance Security shall be provided by the contractor to the Employer not later than the date specified in the letter of acceptance and shall be issued for an amount of 5% of the Contract Price or the estimated cost of the work, whichever is higher, in the form acceptable to the Employer from reputable local banks including scheduled banks or nationalized banks acceptable to the Employer. The performance security shall be valid until the date of issuance of Completion Certificate. The Employer may increase the Performance Security to a level sufficient to protect it against the possibility of financial loss, if the lowest evaluated bid is unbalanced. The amount of Additional Performance Security shall be worked out as follows: -

iv) No Additional Performance Security for Item Rates up to 5% below the Estimated Item rate.

v) An Additional Performance Security of 10% of the estimated cost of items, for item Rates from 5% to 15% below the estimated rate.

vi) An Additional Performance Security of 15% of the estimated cost of items, for Item Rates more than 15% below the estimated rate.

Note:

The Performance Security and Additional Performance Security as applicable shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the works and after the payment of the final bill.

उक्त आदेशों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 यथासंशोधित एवं प्रोक्योरमेन्ट के सम्बन्ध में जारी विभिन्न शासनादेशों में यदि कोई विरोधाभास की स्थिति परिलक्षित हो, तो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 यथासंशोधित एवं प्रोक्योरमेन्ट के सम्बन्ध में जारी विभिन्न शासनादेश ही प्रभावी होंगे।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(एस.के. गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ.सं. एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक (टी0आर0एम0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून(मु0)/पौड़ी/नैनीताल/पिथौरागढ़।
3. सचिव (प्रशासन/अप्रैजल), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून/नैनीताल।
6. लेखाधिकारी/सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. मुख्यालय के सम्बन्धित अनुभाग/गार्ड फाईल/बोर्ड अनुपालन पत्रावली।
8. श्री मनोज भट्ट, संगणक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
9. बोर्ड अनुपालन पत्रावली हेतु।

मुख्य महाप्रबन्धक

दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्सः 0135–2676177
E-mail : cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जल भवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांकः 7938/अप्रै0–03/ /उ0ज0सं0/2017–18 दिनांकः 15..., मार्च, 2018

समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषय : **उत्तराखण्ड जल संस्थान सिविल कार्यों एवं अधिप्राप्ति कार्यों के लिये निर्धारित टर्नओवर में संशोधन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक बोर्ड के निर्णयाानुसार मुख्यालय पत्रांक 6676 दिनांक 21.03.2017 से उत्तराखण्ड जल संस्थान में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं/ई–निविदाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। ततसयम टर्नओवर के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पेयजल निगम में लागू व्यवस्था प्राप्त नहीं हो सकी थी, जिसके फलस्वरूप ए.डी.बी. के अर्न्तगत प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार टर्नओवर का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रधान कार्यालय से के पत्रांक 206 दिनांक 16.02.2018 द्वारा टर्नओवर के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राप्त हुई है, जो निम्नवत् है :–

Turnover : Average annual financial turn over on construction work should be at least 30% of estimated cost during the immediate last 3 consecutive financial year.

अतः **Financial Qualification** शीर्षक के अर्न्तगत टर्नओवर के सम्बन्ध में मुख्यालय पत्रांक 6676 दिनांक 21.03.2017 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

क्र0 सं0	पूर्व जारी पत्रांक 6676 दिनांक 21.03.2017 में व्यवस्था	वर्तमान में प्रस्तावित संशोधित व्यवस्था
24	**Financial Qualification:-** Average Annual Financial Turnover during last three following financial years shall be minimum ₹ **'A'** in Indian Market. An Audited Balance sheet (only Turnover sheet) to be enclosed by the tenderer with the technical bid. Turnover sheet means- Profit & Loss A/c which reflects Sale of product.	**Financial Qualification:-** Average Annual Financial Turnover during the immediate last three consecutive financial years shall be minimum ₹ **'A'** in Indian Market. An Audited Balance sheet (only Turnover sheet) to be enclosed by the tenderer with the technical bid. Turnover sheet means- Profit & Loss A/c which reflects Sale of product.
(i)	Year	Year ....
(ii)	Year	Year ....
(iii)	Year	Year ....
'A' औसतन टर्नओवर **2 x V/T** के आधार पर निर्धारित किया		**'A' Turnover : Average annual financial turn over should be at least 30% of the cost**

जायेगा। यहाँ **V** का तात्पर्य कार्य / आपूर्ति का प्रस्तावित मूल्य एवं **T** का तात्पर्य इस कार्य / आपूर्ति को पूर्ण करने के लिये अनुमानित समय (वर्ष) से है। उदाहरण के लिये यदि कोई ₹ 125.00 लाख का कार्य 08 माह में पूर्ण किया जाना है तो औसत टर्नओवर ₹ 375.00 लाख होना चाहिये।	**of work during the immediate last 3 consecutive financial year.**

अन्य शर्तें / प्राविधान यथावत् रहेंगे।

(एस. के. गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0 सं0 एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाप्रबन्धक (टी.आर.एम.) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून(मु0) / पौड़ी / नैनीताल / पिथौरागढ़।
3. सचिव प्रशासन / अप्रैजल, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन–देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून / नैनीताल।
6. लेखाधिकारी / सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. मुख्यालय से सम्बन्धित अनुभाग / गार्ड फाईल / बोर्ड अनुपालन पत्रावली।
8. श्री मनोज भट्ट, संगणक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
9. बोर्ड अनुपालन पत्रावली हेतु।

मुख्य महाप्रबन्धक